राजस्थान सरकार

निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर

वित भवन 'ए' ब्लॉक, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर–302005

दूरभाष 0141–2740735, ई मेल:jacct.dta@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.4(ई)(1)(6)/भर्ती(2023)अलेसे–III/6378 दिनांक :– 12-08-2025

समस्त कोषाधिकारी,
राजस्थान।

विषयः– कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती परीक्षा–2023 में चयनित नव नियुक्त कनिष्ठ लेखाकारों के वेतन भत्तों के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय आदेश क्रमांक 662 दिनांक 09.05.2025, पत्रांक 238 दिनांक 10.06.2025 एवं पत्रांक 1441 दिनांक 16.07.2025 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा–2023 में चयनित नव नियुक्त कनिष्ठ लेखाकारों हेतु कोषालयों को वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपलब्ध बजट प्रावधान का मद 2054–00–097–05–01–01 संवेतन का बजट आवंटित है। अतः विभागीय प्रासंगिक पत्रांक 238 दिनांक 10.06.2025 के क्रम में कोषालयों में पदस्थापित नव नियुक्त कनिष्ठ लेखाकारों तथा ऐसे कनिष्ठ लेखाकार (प्रशिक्षण में भेजे गये कार्मिकों सहित) "जिनके द्वारा विभिन्न कारणों से कोषालयों में विलम्ब से कार्यग्रहण किया गया है" का संबंधित कोषालयों से कार्यमुक्त दिनांक तक वेतन आहरण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

उक्त के अतिरिक्त जो कार्मिक माह जुलाई, 2025 में आदेशों की प्रतीक्षा (प्रशिक्षण में भेजे गये कार्मिकों सहित) में कोषालयों में उपस्थित रहें है, उनकी उपस्थिति के आधार पर माह जुलाई–2025 के वेतन भुगतान हेतु भी संबंधित कोषाधिकारियों को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही ऐसे संबंधित कार्मिक "जो पूर्व में राजकीय सेवा में कार्यरत थे एवं राज्य संचित निधि से वेतन आहरित कर रहे थे" का राजस्थान सेवा नियमानुसार वेतन संरक्षण एवं वार्षिक वेतन वृद्धि जारी कर वेतन भुगतान संबंधित कार्यवाही करावें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ.4(ई)(1)(6)/भर्ती(2023)अलेसे–III/6378 दिनांक :– 12-08-2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
2. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।
3. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
4. रक्षित/निजी पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II/III)